20 RUPEES बीस रुपये TWENTY RUPEES

(194)

।। श्री ।।

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर
प्रकरण कमांक :- /2009 अपील — A· 345- I/09

म0प्र0 शासन द्वारा – उप पंजीयक बड़नगर
जिला उज्जैन म0 प्र0 ---- अपीलार्थी

विरूद्ध

01. सत्यनारायण पिता जगदीशचन्द्रजी
निवासी ग्राम सुवासा तह.बड़नगर जि.उज्जैन
02. हुकुमचंद पिता उंकारलालजी कुलम्बी
(पाटीदार) निवासी ग्राम – सुवासा तहसील
बड़नगर जिला उज्जैन म0प्र0
--- रेस्पाडेण्टस

अपील अंतर्गत धारा47 (क) (5) भारतीय स्टॉम्प अधि.

न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन, संभाग उज्जैन द्वारा
प्रकरण कमांक– 140/04–05/अपील मे पारित
आदेश दिनांक 21/2/07 के विरूद्ध अपील

मान्यवर महोदय,

अपीलार्थी की और से अपील निम्नलिखित प्रस्तुत है:–

01. यह कि योग्य अधिनस्थ अपील न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं तथ्यो के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

02. यह कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने प्रश्नाधीन भूमि प्रस्तुत खसरे के आधार पर वर्ष 1999 मे सिंचित होकर दो फसलीय है, पटवारी के कथन मे भी यह भूमि वर्ष 1999 मे सिंचित बताई गई है । गाईड लाईन वर्ष 2004–05 अनुसार कृषि भूमि के उपबंध क. 03 मे लिखा गया है कि, अंशतः सिंचित होने की स्थिति मे पांच वर्ष के खसरे की प्रविष्ठियों के आधार पर सिंचित योग्य क्षेत्र का निर्धारण किया जावेगा। इस बिन्दु पर योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने विचार नही करने मे वैधानिक त्रुटी की है ।

03. यह कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने उप पंजीयक द्वारा प्रतिवेदन मे उल्लेखित प्रस्तावित बाजार मूल्य का आधार वर्णित किया है इस बिन्दु पर विचार नही करने मे वैधानिक त्रुटी की है ।

उप-पंजीयक
बड़नगर

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- अपील/345/एक/2009

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 20/09/2017 से लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है। अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	